

यालय
 या

84/2016

प्राथमिकता

विशेष विवरण	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------

स...
 ग्राम पंचायत
 विराटनगर

१११११ वकील उपखण्ड उच्च
 जिला दरखास्त ०४२१ व ०१०
 CPC हेतु दिनांक १०/१०/१७ को
 फौजदारी तब तक पूर्व कांस्टेबल
 हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (बयपुर)

10/10/१७ उच्च न्यायालय में अपील बंद CPC
 प्राथमिकता पर ०४२१/१०/१७ की गई। प्रतीक नंबर
 दावा जाल है प्रतीक है कल। प्राथमिकता पर
 ०४२१/१०/१७ की विभा जाता है।
 सामग्री बंद प्राथमिकता पर कलानी
 निवेदन द्वारा सुनी गई, कल विभा जाता।
 प्रतीक नंबर, प्रतीक नंबर पर उपलब्ध दस्तावेजों के
 तथ्या विधि के सुव्यवस्थित आवधानों का
 कलानी विभा जाता। दस्तावेज प्राथमिकता
 पर दावा क्र. नं ७६/२०१६ उच्च न्यायालयी गिरवा
 कलानी ग्राम पंचायत बाबत घोषणा जाते वाली
 एक दुकान की इन्फार्म के साथ फेर विभा
 जाता है। फलतः वाद में प्राथमिकता द्वारा
 कलानी फेर विभा जाता है। प्रकरण में
 कलानी क्र. नं. ग्राम पंचायत ६५०-५
 जाते हैं २५-०-८५२ इलाका १७ विभा,

स...
 विराटनगर

फर्द अहकाम

गिरवाले V/S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बनाम श्री जयपुर जिला
कानून

नाम न्यायालय
केस संख्या

84/2016 प्राप्ति का

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
		<p>रखी, 852 रकबा 1 बीघा, 854 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के जामदार लीलाराम से उसके एक बिल्दा की जामदारी को विडप पर दि. 2/2/1976 को प्राप्ति एवं सुगाराम, इंदाराम जबरामण, व चौधराम के रूप में जाम गारि किया है। हाल में लालकंठ खारिक ख. नं. 852 के जमा कर 1272 तथा 853 के 1271 एवं 854 के 1279, 1280 के ही काहीनामा प्राप्ति का तर्क रहा कि सैलकंठ कार्यवाही में खारिक नरेशा के परिवर्तन करते हुए ख. नं. 853 के दस्तावेज-पार्श्व दिष्ट की गोलारि में सुमारवाल भूमि 0.03 है. की जैर- काहीनामा रूप है खारिकी भूमि ख. नं. 1278 में मिलानक हाल कम्पाई गलत बना दिया। कप्राप्ति काहीनामा का निरवहन रहा कि विवाहिन काहीनामा</p>		

230

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बनाम

शायक पुर

आलय

84/2016

विशेष विवरण	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>की भूमि कृषाधीन सं 2 की तिनांड 02.6.2016 को जारी इकरालाद पट्टी की हुई कानूनी भूमि है तब ही कृषाधीन का कार्य काशन है</p> <p>उपर्युक्त भूमि विवाद क्र. नं 853 के दक्षिण-पश्चिम दिशा की भूमि 0.03 है को, कानूनी क्र. नं 1258 में मिलाकर जमीन के गलत बगल है उपर्युक्त पट्टी उपकरण में दोनों ही पक्ष कानूनी मुतनाजा पर कदम एक कानूनी, कानूनी काशन तथा विवाद करते हैं। उपर्युक्त के आधारेन निर्णय न है काशन 3 है कि विवाद के संबंध में तबकिनात काशन नर दोनों पक्षों में साक्ष्य लिए जाकर भूमि वाद के निर्णय तक उपर्युक्त पक्षों को, कानूनी काशन का विवाद काशन इसके लिए कानूनी निबंधना है पाठ्य दिकाना जाना है। उपर्युक्त पक्ष उपर्युक्त काशनिका 3 क्र. नं. 1258 की विनायिका</p>	

फर्द अहकाम
 नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी**
 विराटनगर (जयपुर) **विराटनगर (जयपुर)**
 केस संख्या **84/2016** **प्रतिवादी** **व मक**
गिरधारी **व** **बनाम** **आफा** **प्राणति** **द्वारा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेषांक आज्ञा या कार्यवाही
		<p> कारागीरगत रकम 0.02 ₹ के मक एवं राजस्व रिकार्ड की प्रचालनीति बनाई रहे, किसी उकाट का निर्माण नहीं करें तथा रिकार्ड परिवर्तन न करें। ... निर्माण एवं इलाक (हुनाया 113) प्रचालनी फौल उकाट हो कर नकल है 55 डॉ. 10.10.12 उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p>	